
(नियम 4 दे देखिए)

$$
A f \cdot N 0-6315 / 14
$$



निर्वाचन के लिए रिटर्निग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र
मैं... पैकत्र कुमार सिखे आयु 48 वर्ष, जो अध्युबनी, याना-के०्याट, जिला- पूर्णायो-854301

पूरा पता लिखी का $/$ की निवासी हु, और उपरोक्त निर्वाचन से अम्यर्थी है. सत्यनिप्डा-से प्रतिज्ञा करता हु/करती हुं, शम्य पर निम्नलिखित क्रभन करता हू/करती हूँ-
 किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।
(**जो लागू न हो उसे काट दे)
(2) मेरा नाम 62, र्णीयों सित सथनिबीचन क्षेश (बि.区र) (निवाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में माग स 65 के क्रम सं 690 पर प्रविष्ट है।
(3) मेरा संपर्क टेलीफोन ना. 094707.48374 है /हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) -1
(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति : शुन्य


(5) मे ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपरछं (अपराधों) का/की

## BTHAOL नरीं।

अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराघ (अपराघो) का /की अभुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी $\pi /$ करेगी :-

USNE?
3. हत-मामला (ममल) मेरे विरुद्ध लंक्षित है जिसमें दो वर्ष या अधिका के फारापास है देंडीय किसी के लिए न्यायालय द्वारा आरोप-विरचित किया गया है/ किए गए हैं। - लागू नटी।

| (क) | मामला/प्रथम सूचना रिपोट्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण यौरे | न्युन्य |
| :---: | :---: | :---: |
| (ख) | सबधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है | भुन्य |
| (ग) | न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आंदेश की तारीख | सुन्य |
| (घ) | च्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आराप (आरोपों) की विरचना की गई | गुन्य |
| (3) | तारीख (तारीख) जिनको आरोय दिरचित किए गेए थे | गुन्य |
| (च) | क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अंधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/ है | शुन्य |

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्बॉक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न\}:-
(क) न्यायालय का नाम; मामला संख्या और संज्ञान लेन के आदेश की
वररीख
उन मामलों के च्योरे जहो न्यायालय ने संजान लिया है, अधिनियम
(अधिनियनो) की धारा (धाराए) और अपराथ (अपराधों) का संक्षिप्त
(ग) विवरण जिसके (जिनक) लिए संज्ञान लिया गया है
पूर्वक्त आदेश (आदशो) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाड़ल की पूवक्त आदेश (आदशो) के विरूद्द पुनरीक्षण के लिए फाहल की
गई अपील (अपीलो)/आवेदन (आवेदनो) (यदि कोई हो) के य्यौरे
(6) सुझे किसी अपराघ (अपराधों) (लोक प्रतिनिघित्द अधिनियम, 1951 (1951 का , गु) धारी धरा 8 की उपघारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपरार्ध (अपराधों) से मिन्न, के लिए सिद्धदोष तुयाय यरानह/नहीं-ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का THiजरेद दिय पया है/ नहा दिया गया है:

अभिसांशी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह
नकारी प्रस्तुत चानकारी प्रस्तुत करेगाः चुन्य

निम्नलिखित मामलों सें मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है- नहीं $\therefore$


## 

(7) में मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और सथावर आदि) के च्यीरे नीचे
देत्ता हैं अ. जंगम आस्तियों के व्यौरे :

टिप्पण 1- संयुकत र्यामित्च की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है

टिपण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं, रकम् जमा की तारीख, एकीम, बैंक/संतथा का नाम और
शाखा सहित य्यौरे दिए जाने शाखा सहित यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 - सूयीदद्ध कंपनियों के संबँध में बंधपत्रों/ शेयर डितेधरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों मे चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध करपनियों की देशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए टिपण 4-यहां आभ्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम्, 1951 की चरा 7 अधीन स्पष्टीकरण (5) में है। टिपण 5.- रकम स्सहित ख्यौरे प्रत्येक विनिधन के संबंध में पृथकतया दिए जाने है।

R Tu आर आस्तियों के बीरी


## नही




|  | $\begin{aligned} & \text { क्कख क्की त्वरीख } \\ & \text { क्रयन्क़ समयय मूमि की लागत } \end{aligned}$ | गुन्य |  | शुन्प | शुन्य | －4 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | （कवय कीद⿸丆口广户）मो） | शुल्य | 3，0000\％$=2$ | शुन्प | शुन्य | शुन्य |
|  | विक्कास सननिनाण आदि के माप्यम इसे भूलि पर कोई विनिधान | शुन्म | गुन्य | शुन्य | शुन्य | शुन्य |
|  | अनुषानित चालू बाजार मूल्य | शुन्न | 28，00，000／ |  |  |  |
| （v） | अन्य（जिसेइ कि संपत्ति में |  | $28,00 \mathrm{c}$ | भुल्य | शुन्य | गुन्य |
| （VI） | हित） | गुन्य | रुन्य | शुन्य | शुन्य | शुन्य |
|  | पूवाक्त（i）से（v）का कुल चालु बालार मूल्य | शुन्य | शुन्य | शुन्य | शुन्य | शुत्य |

（8）में，लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्तों／को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं：－ टिपण ：कृपया बैक，संस्था．निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के．समूल रकम क्ष ब्यौरों का पृथक विवरण द


(9) वृति यां उपर्जीविका के बौरे ?
(क) ख्वयं $\qquad$ समाज सेथा

उ) प्रलि या पली अधिवक कला
निंक अंहता नीचे दिये अनुसार है:- नवम पाय, (गाँ्ी उच्च विद्यालय) अरजपर धाना-चौसा, जिला- मदेयुरा वर्ष 1981 §
(ए्रमाणपत्र/ठिल्लोमा/ ठिंग्री पाठृयक्रय के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय रिक्षा के बौरे देते हुए विद्यालय/महावियालय/विशववद्यालय-का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्यम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

स50/ix

(11) भाग-क क्क (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धहरण

 माकपा (मालेग सिला रार्थलिय, ममबा दोला,
बड़ीदाकुर बाड़ी रउ3, मथुबनी। (प्रवियिं);
(2, प्रतोया वि०क निवीचन क्षेत्रा खिएर)
12, परणीजियों लोक समा निर्वाचन केता (मिएर)

कम्यूलिष्ट पाट्र आफ शब्दया
माकबीट्ट-लेतिनिएू) लिबरेशान
2 खिक लित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए लिय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।
र्रसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय लयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित से मिन्न)

सन्य
(माकर्बीट्ट-लेग पाटे
शुन्य
03 (तीन)
$\underbrace{4}$ PuFII ${ }^{2}$ एक
एक वर्ष या उससे संख्या जिनले सिद्धदोष ठहराया गया दंडित किया गया है। लघिक के लिए कानावास से और की धारो 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराधों के सियाए) उपधारा (2) या उपधारा (3)




मैं, उपर उल्लिखित अभिगीी
विषय-वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास कह सत्यापन और घोषणा करता हैं, कि इस शपथपत्र की नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया जया है है और सही है, और इसका कोई माग मिथ्या (क) मेरे विसद्ध उपर भाग के और का में यह और घोषणा करता हूँ कि:मामलें से मिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है; 5 और 6 लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित

8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिन्न कोई आरित की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद आज तारीख $31 \cdot 0,3,20149$ को
कद र्भ

टिप्पण- 5 माननीय सर्वरच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09 .2013 को WP(C) संख्या
इडिया बनाम भारव निर्वचन आयोग एवं अन्य के मामाले में अभ्यीयो) स(C)ख्या 121-2008 में रिसर्जैस जाने के संबध में दिए गये न्याय निण्य के आलोक में अम्यूर्थी अभ्याियों द्वारा अपूर्ण शप्थ-पत्र दाखिल किये है। कोई भी स्तंम खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। इप्य प्यन्य द्वारा इप्य पत्र के सभी स्तंभों को करा जाना यह जौन कर लिया जाना है कि माम निर्देशन मतन्न-के सच प्रस्तुत किये जाते समय निर्वोची पदाधिकारी छ्वारा जानकारी उपलब्य कँराने हैतु समार देंगे। माननीय न्यायालय पाधि, अम्पर्थी को खाली स्तंमों के संबंध में उपलब्य कराये जाने हेतु कोई जानकारी नही है तो श्राय्य या का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में स्तिभ में दर्ज किये जायिगे। उनके हारां कोई मी र्ताम खालो नहीं लागू नहीं या जात नहीं जो उपयुकत हो, ऐसे के बाद भी स्तम को भरे जांने में असफल होता है तो नाम निर्दें छोडा जाना है। यदि अम्यर्थी समार दिये जाने निर्वाची पद्धाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। टियेग

मेरा दूरापा सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/है निम्नलिखित रूप में उपलब करायी जायेगी।
सेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है
एवं मेरा सोशल मीधिया एकांडट्स (अगत कोई हो)

